Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to take single agricultural farm as a unit to provide compensation under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna. .

श्री देवजी पटेल (जालौर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मेरे से पूर्व तीन-चार साथियों ने टिड्डी वाला विषय रखा। टिड्डी से जो नुकसान हुआ है, उसमें जालौर, सिरोही से लेकर पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, अनुरोध भी है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में ब्लॉक को इकाई माना गया है और उस ब्लॉक के अंदर अगर पूरी खराबी होता है, तभी जाकर टिड्डी का मुआवजा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस इकलौते खेत में किसी एक गांव के एक किसान को नुकसान हुआ है, उस किसान को भी इसमें जोड़ा जाए । जैसे सिरोही जिला है, वहां 46 किसानों के खेतों में टिड्डी ने नुकसान किया और पूरा खेत साफ कर दिया। अगर ब्लॉक को इकाई मानेंगे, तो शायद उनको मुआवजा नहीं मिल पाएगा। अगर सरकार उसमें कोई इंटरवीन करके प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक खेत को इकाई मानकर उनको मुआवजा दें, तभी जाकर उन किसानों को फायदा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष :

श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री देवजी पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।